National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.newresearchjournal.com
ISSN: 2455-9040
Received: 13-04-2025, Accepted: 14-05-2025, Published: 29-05-2025
Volume 10, Issue 2, 2025, Page No. 42-45

भारत के संविधान निर्माण में महिलाओं की भूमिका

पी. राजरत्नम
आचार्य, हिन्दी विभाग, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवारूर, तमिलनाडु, भारत

सारांश
भारतीय संविधान का निर्माण एक ऐतिहासिक और बहुस्तरीय प्रक्रिया थी, जिसमें देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भविष्य की नींव रखी गई। यद्यपि इस प्रक्रिया में पुरुष नेताओं की भूमिका को व्यापक रूप से रेखांकित किया गया है, महिलाओं के योगदान को अपेक्षाकृत कम स्थान मिला है। प्रस्तुत शोध आलेख में संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान का विश्लेषण किया गया है, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान को अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और समानतामूलक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। हंसा मेहता, दुर्गा बाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी आदि महिलाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंग–समानता, और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर प्रभावशाली दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। इन महिलाओं ने न केवल महिलाओं के अधिकारों की बात की, बल्कि राष्ट्रीय और संवैधानिक मूल्यों की स्थापना में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। यह आलेख उनके विचारों, योगदानों और ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित करते हुए यह सिद्ध करता है कि भारतीय संविधान निर्माण एक समावेशी प्रक्रिया थी, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण रही जितनी कि पुरुषों की। यह शोध नारी सशक्तिकरण और समतामूलक समाज की दिशा में एक आवश्यक ऐतिहासिक पुनर्पाठ है।

मूल शब्दः संविधान सभा, महिला प्रतिनिधित्व, हंसा मेहता, दुर्गा बाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, लैंगिक समानता, नारी सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, भारतीय संविधान, समावेशिता

भारतीय संविधान का निर्माण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, जिसमें विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमियों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रक्रिया में जहाँ एक ओर पुरुष नेताओं की भूमिका को प्रमुखता से देखा गया है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं ने भी संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे अक्सर इतिहास के हाशिये पर रख दिया गया है। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं, जिन्होंने न केवल महिलाओं के अधिकारों की पैरवी की, बल्कि समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर भी प्रभावशाली विचार रखे।

हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गा बाई देशमुख, रेणुका रे, और अन्य महिला प्रतिनिधियों ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय संविधान एक समावेशी और लोकतांत्रिक दस्तावेज बने, जो स्त्री–पुरुष समानता के सिद्धांतों को अपनाए। उनका दृष्टिकोण केवल महिलाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज के वंचित वर्गों की आवाज़ को भी मंच प्रदान किया। इस शोध आलेख का उद्देश्य इन महिला प्रतिनिधियों के योगदान को उजागर करना है, जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि भारतीय संविधान वास्तव में सामूहिक चेतना और सहभागिता का परिणाम है।

मूल आलेख

भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, जिसमें 25 भागों में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान निर्माण के लिये संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान निर्माण की आवश्यकता को सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1940 में स्वीकार किया था। अंत में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का विचार सामने रखा और इसने भारत के संविधान की शुरुआत को चिह्नित किया। संविधान का प्रारूप तैयार करने में 2 वर्ष, 11 महीने तथा 18 दिन लगे। संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था।

संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसमें पंद्रह महिलाओं ने अपना योगदान दिया है, जिनकी चर्चा आगे हम करने वाले हैं।

1952 में भारत के पहले संसदीय चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर अम्मू स्वामीनाथन को मद्रास (तमिलनाडु) राज्य की डिंडीगुल संसदीय सीट से सांसद चुना गया। वह कई सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़ी थीं, और नवंबर 1960 से मार्च 1965 तक भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

अम्मू स्वामीनाथन एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता थी जो बाद में भारत की संविधान सभा की सदस्य बनीं। व्यापक रूप से अम्मुकुट्टी के रूप में जाना जाता है। केरल की अम्मुकुट्टी अपनी शानदार अंग्रेजी भाषा और एक राजनीतिक रूप में अपनी आवाज उठाने वाली महिला के तौर पर जानी जाती है। गांधी के अनुयायी के तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी थी। इस आंदोलन ने भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक उच्च जाति के परिवार में जन्मीं, वह अक्सर विरोध करने और राष्ट्रीय आंदोलनों का हिस्सा बनने के लिए और सभी के समान व्यवहार की वकालत करने के लिए अपने निस्वार्थ प्रयासों के लिए जानी गई थी। अपनी शिक्षा और सक्रियता के साथ, बाद में वह भारतीय संविधान सभा की सदस्य बनीं और भारतीय संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1947 में अम्मू मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बनीं। 24 नवंबर 1949 को संविधान के मसौदे को पारित करने के लिए अपना भाषण दिया। अम्मू स्वामीनाथन सिर्फ संविधान निर्माण में ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों में भी सक्रिय रहीं। उनकी कहानी भारतीय महिलाओं की शक्ति और संघर्ष का प्रतीक है।

भारत दलित समुदाय के अधिकारों और संविधान में उनके योगदान के लिए डॉ. बी आर अंबेडकर के संघर्ष को कभी नहीं

भूल सकता, लेकिन क्या भारत को संविधान सभा में निर्वाचित पहली दलित महिला याद है? दक्षयनी वेलायुधन औपचारिक शिक्षा हासिल करने वाली पुलया समुदाय की पहली व्यक्ति थी। दलित अधिकारों से जुड़े कई सामान्य मुद्दों के खिलाफ लड़ने के लिए, वल्लुधन ने अंबेडकर के साथ हाथ मिलाया। दक्षयनी वेलायुधन एक भारतीय सांसद और दलित नेता थी। 32 वर्षीय दक्षिणानी संविधान सभा की सबसे युवा सदस्य थीं। वे संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला भी थीं।

दुर्गाबाई देशमुख एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थीं, जिन्होंने न सिर्फ़ देश की सेवा की बल्कि कानून की पढ़ाई कर महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ भी उठाई और उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया।

दुर्गाबाई देशमुख महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रशंसकों में से एक थीं। उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान में स्वेदेशी को अपनाया था और इसमें उन्हें उनके पूरे परिवार का साथ मिला था। महात्मा गांधी से प्रभावित होने के बाद उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का मन बनाया और कांग्रेस सेविका बन गईं। उनके भीतर कुशल नेतृत्व और भाषण देने की कला थी। इसी वजह से उन्हें 'जॉन ऑफ आर्क' भी कहा जाता था।

साल 1946 में दुर्गाबाई देशमुख मद्रास प्रांत से भारत की संविधान सभा की सदस्य चुनी गई। वह संविधान सभा में अध्यक्षों के पैनल में अकेली महिला थीं। दुर्गाबाई देशमुख ने अनाथ बच्चों, शिक्षा का प्रसार और महिला अधिकारों की बात संविधान सभा में प्रमुखता से रखी थी। उन्होंने संविधान में कहा था कि जब संविधान वन्य पशुओं और पक्षियों के बारे में सोच सकता है तो अनाथ बालकों अथवा युवकों के संरक्षक और उनकी शोषण मुक्ति के बारे में क्यों नहीं सोच सकता है। दुर्गाबाई देशमुख ने बतौर अस्थायी सांसद संविधान सभा में कम–से–कम 750 संशोधन प्रस्ताव रखे थे। उनके बार–बार हस्तेक्षेप करने पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उनकी चुटली लेते हुए कहा था कि यह एक ऐसी महिला है, जिसके जूड़े में शहद की मक्खी है।

मालती देवी चौधरी ने व्यवस्था के ख़िलाफ़ लड़ाई में शामिल होने के लिए अपने जीवन के आराम और अपनी राजनीतिक स्थिति को छोड़ दिया। उन्होंने उड़ीसा के अलग–अलग हिस्सों में हाशिये पर गए वर्गों के लोगों की मदद की। गरीब किसानों को सूदखोरों और ज़मीदारों के शोषण से बचाने के लिए मालती देवी ने कृषक आंदोलन की अगुआई की। ऐसा माना जाता है कि ढेंकनाल, भुबन और नीलकंठपुर में गोलीबारी की घटनाओं के दौरान सरकार के खिलाफ़ लोगों को लामबंद करने में उनके भाषण और उपस्थिति महत्वपूर्ण साबित हुए। यह गोलीबारी स्थानीय समूहों द्वारा जबरन मजदूरी को समाप्त करने और न्यायसंगत वन कानूनों और नागरिक स्वतंत्रता की मांग के खिलाफ़ की गई थी।

साल 1933 में इन्होंने अपने पति के साथ उत्कल कांग्रेस समाजवादी कर्मचारी संघ का गठन किया। बाद में इस संगठन को अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की उड़ीसा शाखा के रूप में जाना जाने लगा। साल 1948 में इन दोंनो ने उड़ीसा में उत्कल नवजीवन मंडल का भी गठन किया। इसने ग्रामीण विकास और आदिवासी कल्याण के लिए काम किया। साथ में इन्होंने उड़ीसा सिविल लिबर्टीज़ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। वह उन पहली कुछ आवाज़ों में से थीं जिन्होंने नक्सलियों की हत्या की खुलकर आलोचना की।

9 दिसंबर 1946 में मालती देवी चौधरी संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। साथ ही वह उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमिटी की अध्यक्ष भी चुनी गईं। वह उन महिलाओं में से एक थीं जिन्होंने भारती संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, जल्द ही उन्होंने सभा से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वह किसानों, दलितों, आदिवासियों और बच्चों के साथ अपने काम पर ध्यान देना चाहती थीं।

पूर्णिमा बनर्जी समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखती थीं। उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की सचिव रहीं। पूर्णिमा बनर्जी 1930 के दशक के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे रहा करती थीं। वह 'अंग्रेज़ों भारत छोड़ो' जैसे आंदोलन में सक्रियता से शामिल रहीं। इस दौरान उन्हें गिरफ़्तारी का सामना भी करना पड़ा।

भारत के संविधान की प्रस्तावना में 'हम भारत के लोग' मसौदा समिति महिला सदस्य पूर्णिमा बनर्जी के सुझाव को मानते हुए ही डाले गए जिससे स्पष्ट हो सके कि संविधान भारत के लोगों के लिए और भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है। वह अक्सर किसान यूनियनों और ग्रामीण भारत से जुड़े मुद्दों को उठाया करती थीं। इसके अलावा उन्होंने महिला आरक्षण पर भी कई बार आवाज उठाई थी। गौरतलब है कि महिला आरक्षण को लेकर आज तक लड़ाई जारी है।

पूर्णिमा बनर्जी ने महिला आरक्षण पर बहस में महिलाओं के पक्ष में कहा था कि महिलाएं भले ही अपने लिए आरक्षित सीट की इच्छा न रखती हों लेकिन महिलाओं द्वारा खाली पद या सीट पर महिलाओं का ही पहला हक होना चाहिए। संविधान सभा में पूर्णिमा बनर्जी के भाषणों में से समाजवादी विचारधारा के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता नज़र आती थी। वह चाहती थीं कि शिक्षा और आजीविका का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा होना चाहिए।

वह संविधान में एक नया पैराग्राफ जोड़ना चाहती थीं जो यह सुनिश्चित करे कि राज्यों के शैक्षणिक संस्थानों में दी जाने वाली सभी धार्मिक शिक्षा तुलनात्मक धर्मों के प्राथमिक दर्शन मात्र हो, जो कि विद्यार्थियों के दिमाग को व्यापक बनाने के लिए और समझ विकसित करने के काम आए, न कि इसके द्वारा सांप्रदायिक विशिष्टता को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने इस बात पर बहस की कि यह सुनिश्चित करना सरकार की ज़िम्मेदारी है कि देश की एकता के लिए एक अनुमोदित पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों में सभी धर्मों की उचित समझ दी जाए।

महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपालकृष्ण गोखले से प्रभावित होकर राजकुमारी अमृत कौर स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ीं। उन्हीं के जरिए राजकुमारी ने महात्मा गांधी के बारे में जाना। इसके बाद तो वह महात्मा गांधी की मुरीद होती चली गईं और दांडी मार्च के चलते जेल भी गईं। माता–पिता के निधन के बाद साल 1930 में उन्होंने राजमहल त्याग दिया और अपना जीवन स्वाधीनता आंदोलन को समर्पित कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कट्टर अनुयायी रहीं राजकुमारी अमृत कौर का देश की आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान था।

विदेश से पढ़ी–लिखी राजकुमारी अमृत कौर देश की आजादी के बाद स्वास्थ्य मंत्री बनाई गईं। हालांकि, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में आजाद भारत के पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तब उसमें राजकुमारी अमृत कौर का नाम नहीं था। बताया जाता है कि महात्मा गांधी के कहने पर उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया था। उनका सपना था कि देश में इलाज और चिकित्सा जगत में शोध के लिए एक उच्च संस्थान की स्थापना की जाए. इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में 18 फरवरी 1956 को लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया था।

उन्होंने 1927 में महिलाओं और बच्चों की शिक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सह–स्थापना की। यहां तक कि गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और संविधान के प्रारूपण के अलावा, अमृत कौर ने चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने केंद्रीय क्षय रोग एवं अनुसंधान संस्थान, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया की स्थापना की।

एनी मैस्करन एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और केरल तिरुवनंतपुरम से सांसद थीं। ऐनी मैस्करीन ने अपने कार्यों से भारत के राजनीतिक इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। मैस्करेन का जन्म 6 जून 1902 को त्रिवेंद्रम में एक लैटिन कैथोलिक परिवार में हुआ था। उनके पिता, गैब्रियल मैस्करीन, त्रावणकोर राज्य के एक सरकारी अधिकारी थे। उन्होंने 1925 में महाराजा कॉलेज त्रावणकोर में इतिहास और अर्थशास्त्र में डबल एमए किया। जब भारत आजाद हुआ था तब एनी मैस्करन ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अक्कम्मा चेरियन और पट्टोम थानु पिल्लई जैसी रियासतों को भारत में शामिल करवाया। फरवरी 1938 में, जब राजनीतिक दल त्रावणकोर राज्य कांग्रेस का गठन हुआ, तो वह शामिल होने वाली पहली महिलाओं में से एक बन गईं। वो त्रावणकोर राज्य में स्वतंत्रता और भारतीय राष्ट्र के मर्जर के आंदोलनों में खूब सक्रिय रहीं।

लीला रॉय एक भारतीय राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, एक कट्टर नारीवादी और सुभाष चंद्र बोस की करीबी सहयोगी थीं। 1947 में, उन्होंने पश्चिम बंगाल में भारतीय महिला संगठन की स्थापना की। वह संविधान सभा के लिए चुनी जाने वाली बंगाल की पहली महिला बनीं। 1960 में, वह एक नई राजनीतिक पार्टी की अध्यक्ष बनीं, जिसका गठन भारतीय महिला संघ और फारवर्ड ब्लॉक के विलय से हुआ था। महिलाओं के विकास के लिए उनके कामों के कारण उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने खुद को लड़कियों के लिए सामाजिक कार्य और शिक्षा के अधिकार दिलाने के लिए झोंक दिया, ढाका में गर्ल्स स्कूल की शुरुआत की। उन्होंने लड़कियों को कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया और लड़कियों को खुद का बचाव करने के लिए मार्शल आर्ट सीखने की आवश्यकता पर जोर दिया। इन वर्षों में, उन्होंने महिलाओं के लिए कई स्कूल और संस्थान स्थापित किए। लीला रॉय ने देश के विभाजन के विरोध में संविधान सभा भी छोड़ दी थी।

सन 1946 में, उन्हें संविधान सभा के लिए चुना गया था, जो कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने वाली 15 महिलाओं में से एक थीं। दशकों तक इन महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका की नहीं भुलाया जा सकता है। लीला रॉय ने क्रांतिकारी रास्ता छोड़ दिया और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बन गईं। फिर वह सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक की सदस्य बन गईं। 1942 में, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। लीला रॉय ने देश के विभाजन के विरोध में संविधान सभा भी छोड़ दी थी। 1946 में लीला संविधान सभा में शामिल हुईं और बहस में सक्रिय रुप से भाग लिया। उन्होंने हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने जैसे मामलों की ज़बरदस्त पैरवी की थी।

रेणुका रे महिला अधिकारों और पैतृक संपत्ति में विरासत के अधिकारों की एक मजबूत वकील थीं। उन्हें अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें केंद्रीय विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया था। बाद में वह संविधान सभा में एक मजबूत महिला की आवाज के साथ शामिल हुई और संविधान को प्रारूपित करने में मदद की। वह अखिल बंगाल महिला संघ की स्थापना करने के लिए भी जानी जाती है। 1952–57 में उन्होंने बंगाल विधानसभा में राहत और पुनर्वास मंत्री के रूप में कार्य किया। रेणुका रे स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ दूसरी और तीसरी लोकसभा के सक्रिय सांसदों में थीं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनामिक्स से शिक्षित रेणुका रे अपनी उच्च कोटि की सामाजिक आर्थिक समझ वाली सांसद के तौर पर याद की जाती हैं। 1959 में रेणुका रे की अगुवाई में समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक समिति बनी। इस समिति की रिपोर्ट को रेणुका रे कमेटी के तौर पर जाना जाता है। इस समिति ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के लिए विभाग बनाने की सलाह दी।

रेणुका रे एक अर्थशास्त्री की हैसियत रखती थीं. उन्होंने बंगाल में महिलाओं के अधिकारों के साथ–साथ समान नागरिक संहिता के लिए भी आवाज उठाई थी। उनकी अगुवाई में समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक समिति बनी। इस समिति की रिपोर्ट को रेणुका रे कमेटी के तौर पर जाना जाता है। इस समिति ने ही गृह मंत्रालय के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के लिए विभाग बनाने की सलाह दी थी।

सरोजिनी नायडू को अपनी अद्भुत कविताओं के लिए साहित्य की "नाइटिंगेल ऑफ इंडिया" के रूप में जाना जाता है, सरोजिनी नायडू एक क्रांतिकारी इतिहास के साथ प्रेरणादायक नारीवादी स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में खड़ी रही। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और पहली महिला भारतीय राज्य गवर्नर थीं। नायडू ने भारत में महिलाओं के मतदान के अधिकार को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एनी बेसेंट के साथ महिलाओं के अधिकार के लिए संयुक्त चयन समिति को वोट देने के मामले में लंदन चली गई। यह प्रयास सफल हुआ क्योंकि 1931 में कांग्रेस ने महिलाओं के मतदान के अधिकार को स्थापित करने का वादा किया और 1947 में इसे भारत की स्वतंत्रता के साथ आधिकारिक रूप से लागू किया गया। महिलाओं के वोट और सार्वभौमिक मताधिकार में नायडू का योगदान अभी भी भारत के संविधान में प्रतिध्वनित होता है।

विजयलक्ष्मी पंडित एक भारतीय राजनयिक और राजनीतिज्ञ थीं और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनीं। 1940 और 1942 में दो बार स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अपराजेय सक्रियता ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।

जवाहरलाल नेहरू की बहन कहना विजयलक्ष्मी पंडित के योगदान को बहुत कम कर देता है। विजयलक्ष्मी 1937 में ही ब्रिटिश इंडिया के यूनाइटेड प्रोविन्सेज में कैबिनेट मंत्री बनी थीं। इलाहाबाद से अपनी पढ़ाई शुरू की। बाद में गांधी और नेहरू के साथ स्वतंत्रता संग्राम में लड़ीं। पहले डैडी मोतीलाल नेहरू और बाद में भाई जवाहरलाल नेहरू के साथ राजनीति में सक्रिय रहीं। 1946 में संविधान सभा में चुनी गईं। औरतों की बराबरी से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी और बातें मनवाईं। 1953 में यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट रहीं।

साल 1940 में सुचेता कृपलानी ने कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की स्थापना की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और उस दौरान जेल भी गईं। 1946 में वो संविधान सभा की सदस्य के रूप में चुनी गईं. आज़ादी के बाद, 1962 में कृपलानी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा और कानपुर से चुनी गईं। उन्हें श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया. इसके बाद साल 1963 में वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री चुनी गईं। कृपलानी उन चंद महिलाओं में से हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ देश की आज़ादी की नींव रखी। सुचेता कृपलानी को भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता के लिए खासतौर पर याद किया जाता है. उनका ताल्लुक अंबाला से था। संविधान निर्माण में उनका अहम योगदान था।

इसी तरह बेगम एजाज रसूल भी एक मात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक महिला के तौर पर थीं. संविधान में उन्होंने अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अहम विचार रखे थे। भारत की संविधान समिति में इकलौती मुस्लिम महिला. अवध (यूपी) के प्रभावशाली तालुकदारों के परिवार से आने वालीं, उन कुछ महिलाओं में से एक थीं,

जिन्होंने एक गैर–आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और यूपी विधानसभा के लिए चुनी गईं। साल 1950 में, भारत में मुस्लिम लीग भंग होने के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गईं। बेगम एजाज़ रसूल जीवन भर राजनीतिक परिदृश्य में सक्रिय रहीं। ऐसे समय में जब सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ रहा था, एजाज़ रसूल ने 'लीग' से हट कर बात की। उन्होंने मुसलमानों के लिए 'सेपरेट इलेक्टोरेट्स' का मुखर विरोध किया। 1952 में राज्यसभा के लिए चुनी गईं। 1969 और 1971 के बीच, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री रहीं। 2000 में सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

कमला चौधरी का जन्म लखनऊ के एक संपन्न परिवार में हुआ था। कमला चौधरी को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। परिवार से बग़ावत कर ली. राष्ट्रवादियों में शामिल हो गईं और 1930 में गांधी द्वारा शुरू किए गए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आंदोलनरत हो गईं। 54वें सत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष बनीं और सत्तर के दशक के अंत में लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनी गईं। कमला चौधरी एक प्रसिद्ध कथा लेखक भी थीं और उनकी कहानियां आमतौर पर महिलाओं की आंतरिक दुनिया और भारत के एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभरने से संबंधित थीं।

हंसा जीवराज मेहता मौलिक अधिकार उप–समिति, सलाहकार समिति और प्रांतीय संवैधानिक समिति की सदस्य थीं। 15 अगस्त 1947 की आधी रात के कुछ मिनट बाद मेहता ने 'भारत की महिलाओं' की ओर से सभा को राष्ट्रीय झंडा प्रस्तुत किया था। संविधान सभा की बहस में मेहता ने यूसीसी को संविधान का न्यायोचित हिस्सा बनाने का खूब प्रयास किया। सरोजिनी नायडू ने उन्हें गांधी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से मिलवाया। राजकुमारी अमृत कौर के साथ हंसा मेहता ने भारतीय महिला अधिकार और कर्तव्यों का चार्टर तैयार किया और यूसीसी के लिए लड़ाई लड़ी। विजयलक्ष्मी पंडित के साथ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की समानता और मानवाधिकारों पर काम किया। हंसा जीवराज मेहता गुजरात से थीं। उनकी पहचान समाजशास्त्री और पत्रकार की थीं। गुजराती भाषा की लेखिका सामाजिक तौर पर काफी मुखर थीं।

साल 1921 में सोलह साल की उम्र में मालती चौधरी को शांति–निकेतन भेजा गया, जहां उन्हें विश्व भारती में भर्ती कराया गया. उन्होंने नाबकृष्ण चौधरी से विवाह किया, जो बाद में ओडिशा के मुख्यमंत्री बने और साल 1927 में ओडिशा चले गए। नमक सत्याग्रह के दौरान मालती चौधरी और उनके पति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और आंदोलन में भाग लिया. उन्होंने सत्याग्रह के लिए लोगों को प्रेरित किया और अब आखिर में एक कड़वा तथ्य. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की ग्लोबल जेंडर–गैप रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपनी संसद में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में 153 देशों में 122वें स्थान पर है।

इन महिला बुद्धिजीवी स्वतंत्रता सेनानियों ने ना केवल भारतीय समाज में महिला जागरुकता बढ़ाई बल्कि संविधान के निर्माण में भी अपना–अपना खास योगदान दिया था। भारतीय संविधान निर्माण में इनके योगदान को ताउम्र याद किया जाएगा।

संदर्भ सूची

1. बी. आर. अंबेडकरः भारत का संविधान, जैन बुक एजेंसी, दिल्ली, 2018
2. योगेश चन्द्र शर्माः भारतीय संविधान सभा, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2020
3. जय नारायण पाण्डेयः भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, 2023
4. उदयभान सिंहः भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली 2023
5. मधुलिका सिंह उज्वलः संविधान निर्माण में महिलाओं की भूमिका, गौतम बुक कंपनी, जयपुर, 2023